



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 365]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 अगस्त 2014—श्रावण 28, शक 1936

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2014

क्र. एफ-15-02-2009-दस-2.—वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में वर्ष 2006 में किए गये संशोधन उपरांत धारा-38(U) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, बाघों, सह-परभक्षियों एवं भक्ष्य पशुओं की सुरक्षा, प्रबंधन एवं संवर्धन की गतिविधियों के सम्बन्धन एवं अनुश्रवण के उद्देश्य से अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष के लिए मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय स्टियरिंग कमेटी का गठन निम्नानुसार करता है :—

(क)	माननीय मुख्यमंत्री जी	अध्यक्ष
(ख)	माननीय वन मंत्री जी	उपाध्यक्ष
(ग)	05 शासकीय सदस्य :	
	(ग)-1 1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
	2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन विभाग	सदस्य
	(ग)-2 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग	सदस्य
	(ग)-3 1. क्षेत्र संचालक, कान्हा टाइगर रिजर्व	सदस्य
	2. क्षेत्र संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व	सदस्य
(घ)	तीन वन्यप्राणी विशेषज्ञ :	
	1. श्री एच. एस. पंवार	सदस्य
	2. श्री अनीश अंधेरिया	सदस्य
	3. श्री उज्जवल शर्मा	सदस्य
(ङ)	आदिवासी सलाहकार परिषद् के दो सदस्य	सदस्य
(च)	1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग	सदस्य
	2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग	सदस्य
(छ)	मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक	पदेन सदस्य-सचिव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनूप सिंह राजपूत, अपर सचिव.